Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

**File No. RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU-III** **Date: 25.11.2019**

To,

1. **The Chairman & Managing Director,**
**Central Bank of India,**
**Chander Mukhi, Nariman Point,**
**Mumbai - 400021**

2. **Post Master General,**
**Department of Post,**
**Dak Bhawan, Sansad Marg,**
**New Delhi - 110001**

Sub: **Minutes of the Meeting held on 18.10.2019 under Chairmanship of Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation of Shri Rakesh Kumar, Village+ Post- Koreyan Bazar, PS- Bheldi, District – Chhapra, Saran, Bihar regarding taking employment on false and fabricated Scheduled Tribes Certificate.

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 18.10.2019 at 04.30 p.m. for information and necessary action.

**It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days.**

Encl: As above.

**Yours faithfully,**

**(R.K. Dubey)**
**Assistant Director**

**Copy for information:**

1. Shri Rakesh Kumar, Village+ Post- Koreyan Bazar, PS- Bheldi, District – Chhapra, Saran, Bihar
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU-III)

श्री राकेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला- छपरा(सारण)बिहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को 04.30 बजे आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

| | | |
|---|---|---|
| (1.) | श्री नंद कुमार साय, | माननीय अध्यक्ष महोदय |
| (2.) | श्री हरिकृष्ण डामोर, | माननीय सदस्य |
| (3.) | श्री शिशिर कुमार रथ, | संयुक्त सचिव |
| (4.) | डॉ ललित लट्टा, | निदेशक |
| (5.) | श्री आर. के. दुबे, | रा. निदेशक |
| (6.) | श्री विकास शर्मा, | कानूनी सलाहकार |
| (7.) | श्री आलोक कुमार द्विवेदी, | परामर्शक |

- **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी**

| | | |
|---|---|---|
| (1.) | श्री वी.के सिंह, | जीएम (एचआरडी) |

- **डाक विभाग के अधिकारी**

| | | |
|---|---|---|
| (1.) | श्री विक्की कुमार, | एसएसआरएम |
| (2.) | श्री अमित कुमार, | एसए |

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री राकेश कुमार

9. सेंट्रल बैंक के अधिकारी ने कहा कि बैंक प्रबंधन को जिला कलेक्टर का श्री विजय कुमार महतो के अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने से संबंधित पत्र प्राप्त हो जाए तो प्रबंधन कार्रवाई करेगा। (यह पत्र बैठक के उपरांत महाप्रबंधक, [एचआरडी] सेंट्रल बैंक को दिया गया।)

10. बैठक में उपस्थित डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियम 14 के तहत श्री मेवालाल महतो आत्मज श्री त्रिभुवन महतो के विरूद्ध चार्जशीट किया गया है। दिसंबर तक जांच पूरी हो जाएगी, जो अंतिम चरण में है। जांच पूरी होते ही विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

11. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की-
    - आयोग द्वारा सारण समाहरणालय, छपरा का पत्र दिनांक 24.08.2019 की प्रति बैठक में उपस्थित महाप्रबंधक (मानव संसाधन विभाग) को उपलब्ध कराई जाए। बैंक प्रबंधन इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करे।
    - डाक विभाग श्री मेवालाल महतो आत्मज त्रिभुवन महतो के विरूद्ध संस्थित जांच को उपरोक्त नियत समय में पूर्ण कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. पूर्व में दिनांक 18.06.2019 को आहूत बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे, इस संबंध में दिनांक 07.06.2019 का पत्र प्रस्तुत किया गया था।
4. समाहरणालय, सारण का दिनांक 24.08.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि श्री विजय कुमार महतो पिता त्रिभुवन महतो, ग्राम परसा जोगनी, थाना अमनौर, जिला सारण की जाति 'नोनिया' है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-1) के अंतर्गत आते है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री महतो द्वारा प्रस्तुत दिनांक 15.04.79 को निर्गत तथाकथित अनुसूचित जनजाति (खड़िया) से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी है।
5. दिनांक 18.10.2019 को आहूत बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी श्री वी. के सिंह, महाप्रबंधक (मानव संसाधन विभाग) और डाक विभाग के अधिकारी श्री विक्की कुमार, एसएसआरएम और अमित कुमार, एसए उपस्थित हुए।
6. आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अभ्यावेदक ने बताया कि श्री विजय कुमार महतो फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। इस संबंध में उनके द्वारा बैंक को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जी.एम., एच.आर.डी ने बताया कि बैंक प्रबंधन को जिला प्रशासन से पहले जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वह उनके अनुसूचित जनजाति होने से संबंधित है। इसके बाद जिला कलेक्टर का एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि अभ्यावेदक की जाति राज्य में अनुसूचित जनजाति में नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग में शामिल है। प्रबंधन के सामने असमंजस की स्थिति है कि किस प्रमाण पत्र को सही माना जाए। बैंक प्रबंधन को जिला कलेक्टर के कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र के संबंध में सही पत्र प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।
8. अभ्यावेदक ने बताया कि बैंक प्रबंधन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र को गायब करा दिया गया। उनके पास श्री विजय कुमार महतो की वंशावली है। जिला कलेक्टर द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि विजय कुमार महतो 'नोनिया' जाति से हैं जो बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-1) में दर्ज है। उनका अनुसूचित जनजाति (खड़िया) से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU-III)

श्री राकेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला- छपरा(सारण)बिहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राकेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला छपरा(सारण) बिहार द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मेवालाल महतो पुत्र श्री त्रिभुवन महतो द्वारा एअर मेल, शॉर्टिंग डिवीजन, डाक विभाग, नई दिल्ली तथा विजय कुमार महतो पिता श्री त्रिभुवन महतो द्वारा सेंट्रल बैंक में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आयोग में अभ्यावेदन दिया गया था।
2. मामले में आयोग द्वारा दिनांक 18.06.2019 को आहूत बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी-
   - जिला कलेक्टर, सारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संबोधित करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करें जिसमें दोनों अनावेदकों की जाति का स्पष्ट विवरण हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।
   - सारण जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के कई मामले सामने आए हैं अतः जिला प्रशासन इस संबंध में गंभीरता से जांच करे। फर्जीवाड़ा होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्राप्त लाभ अन्य समुदायों के व्यक्ति उठा रहे हैं। अभ्यावेदक की शिकायत के अतिरिक्त अन्य मामलों की शिकायत की भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
   - डाक विभाग एक माह के भीतर आयोग के समक्ष अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा छह माह में जांच पूरी कर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi